"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 मार्च 2014— फाल्गुन 14, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-44/2014/वाक/पांच (43). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में दिनांक 01-04-2014 से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

(1) **नियम 5 में** :-

नियम-5 के उपनियम (1) के खंड-(ग) में शब्दों "दस लाख रुपये" के स्थान पर शब्दों "बीस लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाय।

(2) **नियम 8 में** :-

(एक) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नानुसार उपनियम-(2) प्रतिस्थापित किया जाए ।

"(2)-उप-नियम(1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, यदि आवेदन नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप है, समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को प्रशमन के रूप में एकमुश्त भुगतान करने की अनुज्ञा लिखित में आदेश द्वारा 30 दिवस के भीतर (इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से), प्रारूप-5(क) में प्रदान करेगा तथा उसकी एक प्रति आवेदन करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को भेजेगा ।"

(दो) वर्तमान उप-नियम (5) में अंक एवं शब्दों "30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही" के स्थान पर शब्द "वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(तीन) उप-नियम (10) में शब्दों "तिमाही समाप्ति के 30 दिन के भीतर" के स्थान पर शब्दों "वर्ष समाप्ति के 30 दिनों के भीतर" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(चार) उप-नियम (10) के पश्चात् निम्न उप-नियम जोड़ा जाय, यथा :-

"(10-क) देयकर के विरुद्ध प्रशमन के रूप में एकमुश्त भुगतान की सुविधा धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन, जिस वर्ष के लिये सुविधा प्रदान की गई है, उस वर्ष के दौरान रु. एक करोड़ का विक्रय हो जाने तक प्रतिसंहृत नहीं की जावेगी । यद्यपि उक्त व्यापारी द्वारा रु. 60 लाख से अधिक विक्रय राशि पर अधिनियम के अधीन देयकर का भुगतान पूर्ण दर से किया जावेगा ।"

(3) **नियम 20 में** :-

उप-नियम (2) के खंड (क) के वर्तमान परंतुक के स्थान पर निम्नानुसार परंतुक प्रतिस्थापित किया जाय :-

"परन्तु प्रत्येक नवीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी प्रथम वर्ष के, प्रत्येक छैमाह के लिये प्रारूप-17 में विवरणी, छैमाह समाप्ति के दिनांक से 30 दिवस के भीतर भजेगा ।

परन्तु यह कि प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिनकी वार्षिक कुल विक्री साठ लाख रुपये से कम है, प्रत्येक वर्ष के लिये प्रारूप-17 में विवरणी, वर्ष समाप्ति के दिनांक से तीस दिवस के भीतर भेजेगा ।

(4) **प्रारूप-6 का संशोधन** :-

वर्तमान प्रारूप-6 के स्थान पर निम्नलिखित नवीन प्रारूप-6 प्रतिस्थापित किया जाय :-

प्रारूप–6
(नियम 8(5) देखिये)
छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10(1)(अ) के अंतर्गत वार्षिक विवरण

टिन (TIN)										
2	2									

विवरण की अवधि							
	दिवस	माह	वर्ष		दिवस	माह	वर्ष
प्रारंभ				से			

व्यापारी का नाम ....
पूर्ण पता ....

कमांक	संकर्म संविदा का वर्णन	संविदा की अवधि	वर्ष के दौरान प्राप्त अथवा प्राप्य राशि	प्रशमन की दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5

प्रशमन की राशि	स्त्रोत पर कटौती की राशि	शेष देय राशि (यदि कोई हो) (6–7)	आधिक्य राशि, आगामी वर्ष में अग्रेषित (यदि कोई हो) (6–7)	नगद वापसी चाही गई आधिक्य राशि (यदि कोई हो) (6–7)
6	7	8	9	10

भुगतान विवरण (ठेकेदार द्वारा किया गया भुगतान):–

अनु.	चालान क.	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4	5	6

भुगतान विवरण (स्त्रोत पर कटौती द्वारा):–

अनु.	चालान क.	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1	2	3	4	5	6

स्थान ....
तारीख ....

....
रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के हस्ताक्षर

उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान ....
तारीख ....

....
रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के हस्ताक्षर

(5) प्रारूप–7 का संशोधन –

वर्तमान प्रारूप–7 के स्थान पर निम्नलिखित नवीन प्रारूप–7 प्रतिस्थापित किया **जायः–**

"प्रारूप 7

(नियम 8(10) देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(अ) के अंतर्गत वार्षिक विवरण

टिन (TIN)										
2	2									

विवरण की अवधि							
	दिवस	माह	वर्ष		दिवस	माह	वर्ष
प्रारंभ				से			

1. व्यापारी का नाम ....
2. पूर्ण पता ....
3. सकल विक्रय ....
4. अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय ....
5. करयोग्य विक्रय (3–4): ....

क.	माल का वर्ग	करयोग्य विक्रय	एकमुश्त की दर	एकमुश्त की
1.	पके अन्न			
2.	मिठाईयां और नमकीन			
3.	पके अन्न एवं मिठाईयां और			
	योग–			

6. कुल देय राशि ....
7. जमा की गई राशि ....
8. भुगतान का विवरण ....

क.	चालान कमांक	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	शाखा का नाम
1.					
2.					
3.					
	योग–				

स्थान ....

....

दिनांक .... पंजीकृत व्यापारी का हस्ताक्षर

ऊपर दिये गये ब्यौरे मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान ....

....

दिनांक .... पंजीकृत व्यापारी का हस्ताक्षर

(6) प्रारूप–17 का संशोधन –

प्रारूप 17 के साथ संलग्न सूची के शीर्षक में जहां कहीं भी अंक एवं शब्द "रू. 1 लाख वार्षिक" आया हो, के स्थान पर अंक एवं शब्द "रू. 3 लाख त्रैमासिक" प्रतिस्थापित किया जाय।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10-44/2014/वाक/पांच (43). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-44/2014/वाक/पांच (43) दिनांक 04-03-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F-10/44/2014/CT/V(43).— In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment, in the Chhattisgarh Added Tax Rules, 2006, from 01-04-2014.

AMENDMENT

In the said rules -

(1) In Rule 5:-

In clause-(c) of sub-rule (1) of rule 5, for the words "rupees ten lac" the words "rupees twenty lac" shall be substituted.

(2) In Rule 8:-

(i) For existing sub-rule (2) the following sub-rule (2) shall be substituted:-

"(2) on receipt of application under sub-rule (1), if the application is in accordance with the provisions of the rules, the appropriate Commercial Tax Officer shall by an order in writing grant permission (electronically), within thirty days in Form-5-A, to the registered dealer to make lump sum payment by way of composition and send a copy thereof to the registered dealer making the application."

(ii) In existing sub-rule (5) for the words and figures "quarter ending on 30th June, 30th September, 31st December, 31st March" the word "year" shall be substituted.

(iii) In sub-rule (10), for the words "thirty days of the expiry of the quarter" the words "thirty days of the expiry of the year" shall be substituted.

(iv) After sub-rule (10) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(10-A) The facility of payment of lump sum in lieu of tax by way of composition shall not be revoked under clause (b) of sub-section (2) of section 10 up to a turnover of Rupees one crore during the year for which such facility has been granted. However such dealer shall pay the tax at full rate payable under the Act; on the sales exceeding rupees sixty lacs."

(3) In rule 20:-

for the present proviso of clause (a) of sub-rule (2) the following proviso shall be substituted:-

"**Provided** that every new registered dealer shall furnish for every six month of the first year, a return in form-17 within thirty days from the expiry of the six month.

Provided further that, every such registered dealer whose annual turnover is less than rupees sixty lacs shall furnish for each year a return in form 17 within thirty days from the date of expiry of the year"

(4) Amendment of Form-6 :-

For the existing **Form-6,** the following Form-6 shall be substituted:-

FORM - 6
[See rule 8(5)]

Annual Statement under section 10(1)(a) of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

TIN										
2	2									

Period of statement							
	DD	MM	YY		DD	MM	YY
From				To			

Name of the dealer ....

Full Address ....

....

S. N.	Description of the works contract	Duration of contract	Amount received or receivable during the year	Rate of composition (percent)	Amount of Composition	Amount deducted at source	Balance payable amount (if any) (6-7)	Excess amount, carry forwarded in next year (if any) (6-7)	Excess amount, claimed as cash refund (if any)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Payment details (Payment made by contractor):-

S.No.	Challan No.	Date	Amount	Name of Bank	Name of Branch
1	2	3	4	5	6

Payment details (By TDS):-

S.No.	Challan No.	Date	Amount	Name of Bank	Name of Branch
1	2	3	4	5	6

Place .... Signature of the registered dealer . ...

Date ....

The above statement is true to the best of my knowledge and belief.

Place .... Signature of the registered dealer ....

Date ....

(5) Amendment of Form-7 :-

For the existing **Form-7**, the following Form-7 shall be substituted:-

FORM-7

[(See rule 8(10)]

Annual Statement under section 10(2)(a) of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

TIN										
2	2									

Period of statement							
From	DD	MM	YY	To	DD	MM	YY

1. Name of the dealer --
2. Full address --

----

3. Gross turnover --
4. Turnover of goods specified in Schedule-I --------------------------------
5. Taxable turnover (3-4) --

S.No.	Class of goods	Amount of	Rate of lump	Amount of
1.	Cooked food			
2.	Sweet and namkeen			
3.	Other than cooked food and			
	Total:			

6. Total payable amount --
7. Deposited amount --
8. Details of payment --

S.No.	Challan No.	Date	Amount	Name of bank	Name of
1.					
2.					
3.					
4.					
	Total				

Place ------------------------------ ------------------------------

Date ------------------------------ Signature of the registered dealer

The above statement is true to the best of my knowledge and belief.

Place ------------------------------ ------------------------------

Date ------------------------------ Signature of the registered dealer

(6) Amendment of Form-17 :-

In the heading of the list annexed with form-17 for the words and figure "Rs. 1 lac in a year", wherever occur, the words and figure "Rs. 3 lacs in a quarter" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.